न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूलसिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर :— 15/2018

(आरसीएमएस नम्बर :— 2018/00018)

उनवान प्रकरण

डॉ. गुंजन बंसल पत्नी डॉ. हिमांशु बंसल जाति वैश्य निवासी मितल कॉलोनी, धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ....रेस्पोडेण्ट

(प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी.)

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 20.03.2018
मु0नं0 112/2017 सरकार बनाम डॉ.गुंजन बंसल
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
तहसीलदार धौलपुर

उपस्थिति :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री सुरेन्दचन्द कटारा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :— श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 24.08.2018

उक्त उनवानी अपील में अपीलान्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सी. पी.सी. इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 970/707 रकवा 06 वीधा किस्म चारागाह बॉके ग्राम नरपुरा में से 3 विस्वा पर सम्बत 2074 में डॉ. गुंजन बसंल ने वाउण्ड्री बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.3.2018 को अपीलान्ट को अतिकमी मानकर बेदखल एवं शास्ति 30/—रू0 अधिरोपित कर तहसीलदार धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने अराजी खसरा नम्बर 645, 639/2, 637, 638बॉके ग्राम नरपुरा में से विक्रेता शिवकान्त पाठाक,

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

राधा शर्मा, व मुकेश त्यागी से दिनांक 5.4.2017 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय अपीलान्ट ने किया और मौके पर कब्जा प्राप्त किया और उसी में बाउण्ड्री वाल का निर्माण किया। अपीलान्ट सदभावी क्रेता है। सीमा का विवाद है। दिनांक 20.3.2018 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल कर दिया। अपीलान्ट द्वारा दावा मुकद्दमा नम्बर 05/2018 कालीचरन बनाम सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर दावा स्वत्व धोषणा, दुरूस्ती इन्द्रांज, तरमीम नक्शा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय 7.6.2018 को हो गया है जिसमें गत खसरा नम्बर 441 का रकवा हाल खसरा नम्बर 707 में का भाग शामिल है तथा निर्णय में धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की अपील न्यायालय श्रीमान विचाराधीन है। न्यायालय श्रीमान द्वारा खसरा नम्बर हाल 639/2 में 15 विस्वा शामिल तथा नक्शा में तरमीम का आदेश पारित किया गया। रेगूलर सूट की कार्यवाही से समरी प्रोसिडिंग प्रतिबन्धित है। दावा में निर्णय होने के पश्चात नक्शा में तरमीम होने के बाद धारा 91 की कार्यवाही स्वतः ही प्रभावहीन हो जाती है। अतः न्यायालय श्रीमान अपनी अन्तनिर्हित शाक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 91 की कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. का राजकीय अभिभाषक द्वारा कोई जबाव पेश नहीं किया गया। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की वहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में उक्त प्रार्थना में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा धारा 91 की कार्यवाही में स्वत्व अंकित किया था कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि पर कोई नाजायज कब्जा नहीं किया है अपीलान्ट द्वारा भूमि क्रय की है। खसरा नम्बर गत 441 का हाल नम्बर 639 में गत खसरा नम्बर की 16 विस्वा भूमि शामिल करली है शेष 15 विस्वा भूमि किसी भी नम्बर में शामिल नहीं है और नक्शा में तरमीम करने का वन्दोवस्त विभाग को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और पूर्व के इन्द्राजों को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नक्शा में तरमीम की गयी है वह क्षेत्राधिकार न होने के कारण काबिल निरस्ती है। अपीलान्ट द्वारा दावा मुकद्दमा नम्बर 05/2018 कालीचरन बनाम सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर दावा स्वत्व धोषणा, दुरूस्ती इन्द्रांज, तरमीम नक्शा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर द्वारा दिनांक 7.6.2018 को निर्णय किया और अपने निर्णय में 15 विस्वा रकवा खसरा 707 व 639 में शामिल होना नहीं माना और 15 विस्वा रकवा को 639/2 में शामिल करने का आदेश पारित किया व नक्शा में तरमीम की कार्यवाही की जाए ऐसा आदेश पारित किया है। रेगूलर सूट में निर्णय होने के पश्चात समरी प्रोसिडिंग की कार्यवाही समाप्त किया जाना न्यायोचित है। जब तक न्यायालय सहायक कलक्टर का आदेश निरस्त नहीं हो जाता तब तक प्रशासनिक आदेश से अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट सदभावी क्रेता है मौके पर काबिज है और प्रतिफल देकर खातेदार काश्तकारो से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया है अतः धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध नहीं की जा सकती। उन्होने अपने तर्को के समर्थना में

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

आर बी जे 1998 पेज 610, आर आर सी 1997 पेज 500, आर आर टी 2005(2) पेज 1444 के न्यायिक नजीरें पेश कर धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर धारा 91 की कार्यवाही समाप्त की जावे।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में सीमाज्ञान का विवाद है। न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय दिनांक 7.6.2018 कार्यवाही अपेक्षित है। अपीला पत्रावली रिमाण्ड की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसो पर विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 970/707 रकवा 06 वीधा किस्म चारागाह बॉके ग्राम नरपुरा में से 3 विस्वा पर सम्बत 2074 में अपीलान्ट ने वाउण्ड्री बनाकर अतिकमण कर लिया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.3.2018 को अपीलान्ट को अतिकमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित किय है। अपीलान्ट द्वारा दावा मुकद्वमा नम्बर 05/2018 कालीचरन बनाम सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर दावा स्वत्व धोषणा, दुरूस्ती इन्द्रांज, तरमीम नक्शा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर द्वारा दिनांक 7.6.2018 को निर्णय किया और अपने निर्णय में 15 विस्वा रकवा खसरा 707 व 639 में शामिल होना नहीं माना और 15 विस्वा रकवा को 639/2 में शामिल करने का आदेश पारित किया व नक्शा में तरमीम की कार्यवाही की जाए ऐसा आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपीलान्ट/प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर धारा 91 एल.आर.एक्ट की अपील पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि सक्षम राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.6.2018 के आलोच्य में अपीलान्ट को सुनकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner